



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2264]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2014/कार्तिक 16, 1936

No. 2264]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2014/KARTIKA 16, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2014

का.आ. **2836(अ)**.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

तालिका

(1)	(2)	(3)
307	702 डी	नागालैंड राज्य में मोकोकचुंग के समीप रारा 2 पर अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर असम राज्य में मरियामी को जोड़ते हुए जोरहाट के समीप रारा सं. 715 पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-15)]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडबी)

टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 2233(अ) तारीख 5 सितंबर, 2014 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2014

S.O. 2836(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
307	702D	The highway starting from its junction with new NH No. 2 near Mokokchung in the State of Nagaland connecting Mariami and terminating at NH 715 near Jorhat in the State of Assam.

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-15)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote: The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 2233(E), dated 5th September, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2014

का.आ. **2837(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 258 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
258	702 ए	नागालैंड राज्य में मोकोकचुंग के समीप रारा 2 अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर (जुनहेबोटो, फेक को जोड़ते हुए और मेलुरी के समीप नई रारा सं. 202 पर अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग

[फा. सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-15)]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडबी)

टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 2233(अ) तारीख 5 सितंबर, 2014 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2014

S.O. 2837(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689(E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 258 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
258	702A	The highway starting from its junction with NH 2 near Mokokchung connecting Zunheboto, Phek and terminating at its junction with new NH No. 202 near Meluri in the State of Nagaland.

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-15)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote: The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 2233(E), dated 5th September, 2014.